

2018/01181

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतसा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प) कैम्प: सुरकी

-:आदेश:- मु.स 472/18 दि. 5.6.18

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मु.स की हानी व भूअं.नि. डोले की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मु.स की हानी तहसील सुरकी व जिला बाणेश्वर की जमाबन्दी सम्यक् 2611, 2612, 2613, 2614 में खाता संख्या 01, 01, 01 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>मु.स की हानी</u> <u>नायब</u> <u>पटवारी</u> <u>सुरकी</u>	<u>01</u> <u>01</u> <u>01</u> <u>01</u>	<u>सुरकी खाता</u> <u>में दर्ज।</u>	<u>ग्राम मु.स की हानी</u> <u>नं. 841 नायब 244</u> <u>1305 पटवारी सांसज</u> <u>244 196 व 251 को</u> <u>ग्राम पंचायत मु.स की</u> <u>हानी के नाम दर्ज</u> <u>करना</u>

(नागीराम राम)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतसा कैम्प सहा.कलेक्टर

क्रमांक :- 1622, -1623

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(नागीराम राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतसा कैम्प